भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
10.03.2016 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 1440.

निजी कंपनियों द्वारा मोनाज़ाइट का खनन

1440. **श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या परमाणु ऊर्जा (खानों का कार्यकरण, खनिज तथा विहित पदार्थों की सप्लाई) नियम, निजी कंपनियों को मोनाज़ाइट का खनन करने से रोकते हैं;**

(ख) **क्या किसी भी रूप में मोनाज़ाइट और थोरियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत 'विहित पदार्थ' के रूप में माने जाते हैं तथा यह अधिनियम इस 'विहित पदार्थ' की अधिप्राप्ति, उत्पादन कब्जा, प्रयोग या उसके निर्यात को प्रतिषिद्ध करता है;**

(ग) **यदि हाँ, तो क्या बड़े तौर पर अवैध खनन हो रहा है तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र से मोनाज़ाइट से युक्त बालू का निर्यात हो रहा है; और**

(घ) **यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) **जी, हाँ। चूंकि मोनाज़ाइट में थोरियम मौजूद होता है, मोनाज़ाइट तथा थोरियम दोनों ही, समय-समय पर संशोधित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन 'विहित पदार्थ' की श्रेणी में आते हैं। चूंकि अन्य पुलिन बालुका खनिज तथा मोनाज़ाइट (जिसमें थोरियम मौजूद होता है) एक साथ विद्यमान होते हैं, पुलिन बालुका खनिजों का हस्तन करने वाली कंपनियों को, परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 के अधीन परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। लाइसेंसिंग की शर्तों के अनुसार लाइसेंसधारी को, पुलिन बालुका खनिजों को पृथक करने के बाद पछोड़नों का निपटान, जिनमें मोनाज़ाइट मौजूद होता है, उनमें मौजूद मोनाज़ाइट की मात्रा को ध्यान में रखते हुए अपनी कंपनी के परिसर के भीतर अथवा बैकफिल के रूप में करना होता है।**

(ग) **जी, नहीं। तथापि, इस विषय पर कुछ मीडिया रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जो किसी तथ्य पर आधारित नहीं हैं।**

(घ) **ऊपर (ग) के मद्दे नज़र यह प्रश्न ही नहीं उठता।**

****